(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

<u>अधिसूचना</u>

सं. 43/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक, 30 अगस्त, 2017

सा0का0नि0 (अ)- अभिहित प्राधिकारी यूरोपीय संघ, कोरिया आरपी, थाईलैंड (जिसे इसके बाद विषयगत देशों कहा गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित “1500 सीरीज और 1700 सीरीज का स्टाइरिन बुटाडीन रबर (एसबीआर) ” (जिसे इसके बाद विषयगत माल कहा गया है) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ उपशीर्ष 400219के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1, तारीख 12 जुलाई, 2017 में प्रकाशित अधिसूचना फा. सं. 14/10/20115-डीजीएडी, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

(1) संबद्ध वस्तुओं का संबद्ध देशों से भारत को इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया है।

(2) सबद्ध देशों से पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव बना रहे है, लाभप्रदत्ता को प्रभावित कर रहे हैं ।

(3) उपर्युक्त क्षति का प्रभाव वास्तविक क्षति तथा वास्तविक मंदी, दोनों के रूप में है ।

और अभिहित अधिकारी ने यह सिफारिश की है कि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत माल के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाए, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके ।

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (I) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पदनामित प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्द्वारा विषयगत माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ उपशीर्ष के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गई प्रविष्ट में विनिर्दिष्ट देश में उद्धत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में

विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (10) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा कॉलम (9) में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट, एवं कालम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है ।

सारणी

क्रस.	टैरिफ मद	वस्तु विवरण	उद्‌गम का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	यूनिट	मुद्रा
1()	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	400219	1500 सीरीज 1700 और का सीरीज इमल्शन स्टाइरिन बुटाडीन रबर)ई-एसबीआर(	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ	सिंथस करालुपी ए.एस. चेज गणराज्य	सिंथस करालुपी ए.एस. चेज गणराज्य	207.49	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
2	400219	-वही-	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ	सिंथस डाउरी 7 स्पे. जेड. ओओ. पौलेंड	सिंथस डाउरी 7 स्पे. जेड. ओओ. पौलेंड	207.49	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
3	400219	-वही-	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ	क्रम सं0 1 व 2 के अलावा कोई अन्य संयोजन		266.00	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
4	400219	-वही-	यूरोपीय संघ	कोई अन्य	कोई अन्य	कोई अन्य	266.00	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
5	400219	-वही-	पाटनरोधी शुल्क के अध्ययीन कोई अन्य देश	यूरोपीय संघ	कोई अन्य	कोई अन्य	266.00	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
6	400219	-वही-	कोरिया जनवादी	कोरिया जनवादी	कुम्हो पैट्रो	कुम्हो पैट्रो केमिकल	33.95	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर

			गणराज्य	गणराज्य	केमिकल कं0 नि0	कं0 नि0		
7	400219	-वही-	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोरिया जनवादी गणराज्य	कुम्हो पैट्रो केमिकल कं0 नि0	i.देवी इंटरनेशनल कारपोरेशन, कोरिया जनवादी गणराज्य ii.देवी इंटरनेशनल सिंगापुर	33.95	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
8	400219	-वही-	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोरिया जनवादी गणराज्य	एलजी केम. लि. कारिया जनवादी गणराज्य	एलजी केम. लि. कारिया जनवादी गणराज्य	28.68	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
9	400219	-वही-	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोरिया जनवादी गणराज्य	एलजी केम. लि. कारिया जनवादी गणराज्य	i.एलजी केम. अमेरिका इंक.; ii.हनसुक केमि. कं. लि.; iii.एवरलाइट कोरिया कं. लि.; iv.हर्टी केम. कारपो., v.वोंकेम लि.	28.68	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
10	400219	-वही-	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोरिया जनवादी गणराज्य	क्रम सं0 6,7,8 व 9 के अलावा अन्य कोई संयोजन		64.00	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
11	400219	-वही-	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोई अन्य	कोई अन्य	कोई अन्य	64.00	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
12	400219	-वही-	पाटनरोधी	कोरिया	कोई अन्य	कोई अन्य	64.00	मीट्रिक	अमरीकी

			शुल्क के अध्ययीन कोई अन्य देश	जनवादी गणराज्य				टन	डालर
13	400219	-वही-	कोई अन्य	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोई अन्य	कोई अन्य	64.00	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
14	400219	-वही-	थाइलैंड	थाइलैंड	कोई अन्य	कोई अन्य	243.60	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
15	400219	-वही-	थाइलैंड	कोई अन्य	कोई अन्य	कोई अन्य			
16	400219	-वही-	पाटनरोधी शुल्क के अध्ययीन कोई अन्य देश	थाईलैंड	कोई अन्य	कोई अन्य			

* टिप्पणी: स्टाइरिन बुटाडीन रबर 1900 सीरीज और सॉल्यूशन एसबीआर को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया जाने वाला प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के लगाये जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के आशय से, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन में लागू ''विनिमय दर'' वहीं होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की द्वारा प्रदत्त शक्तियों शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा विनिमय की दर के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

[फा.सं. 354/206/2016-टीआरयू)]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार